

परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अर्न्तगत चेलछीना बाजार से प्राथमिक पाठशाला चुपड़ा तक मोटर मार्ग। लम्बाई— 3.00कि०मी०

संलग्नक सं०—2.3

प्रपत्र—6

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज दि० 02.09.2009 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री भगवत सिंह नयाल, उप वन राजि०, धौलादेवी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा, राजस्व विभाग की ओर से श्री हेम पन्त राजस्व उप निरीक्षक, फटक्वालडुगरा तहसील—अल्मोड़ा, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री संजय कुमार पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा, श्री प्रदीप कुमार कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा व श्री किशोर चन्द्र भट्ट अमीन, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 0.9000 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.1613 है०, वन पंचायत भूमि 1.3037 है०, एवं नाप भूमि 0.3350 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से 2 गाँव व 678 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 86 वृक्षों व नाप भूमि पर 5 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....


अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिशस्त्री अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम - जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चेलछीना से प्राथमिक पाठशाला चुपड़ा तक मोटर मार्ग ल०- 3.00 कि० मी० (18)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधिशाली अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा प्रस्तावित चेलछीना से चुपड़ा मोटर मार्ग ल० 3.00कि०मी० के कार्य (गैर वानिकी कार्य) किये जाने हेतु वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक-519(2)/12-1 दिनांक 22 अगस्त 2009 के कम में दि० 29/08/2009 से 2/9/2009 तक वन विभाग, राजस्व विभाग तथा प्रस्तावक विभाग के निम्न अधिकारियों / कर्मचारियों, द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया-

- ① - श्री भगवत सिंह नयाल डिप्टी रेंजर - चेलछीना
- ② - श्री संजय पाण्डेय स०अ० प्रा० ख० लो० नि० वि० अल्मोड़ा
- ③ - श्री प्रदीप कुमार अवर अभियन्ता प्रा० ख० लो० नि० वि० अल्मोड़ा
- ④ - श्री विश्वेश चन्द अमीन प्रा० ख० लो० नि० वि० अल्मोड़ा
- ⑤ - श्री हेम फत, पटवारी फाटवकलदूंगरा

(1) लो०नि०वि० द्वारा राज्य योजना में प्रस्तावित मोटर मार्ग की ल० 3.00कि०मी० व चौ० 9 मी०, प्रस्तावित की गयी है, जो कि अल्मोड़ा सिविल एवं सोयम वन प्रभाग के जागेश्वर रेंज के अन्तर्गत निम्न आरक्षित/सिविल वन क्षेत्र एवं नाप भूमि में पड़ेगी, विवरण निम्न प्रकार है-

1-आरक्षित वन भूमि					
क्र० सं०	वन ब्लाक व कक्ष सं०/सिविल एवं नाप भूमि	प्रस्तावित कार्य	अपेक्षित वन भूमि की ल०, (चौ० मीटर में)		
			लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल
1	धरका देवी - ख० सं० 1	मोटर मार्ग	1000	9	0.9000 है०
2.	ग्राम टिकर व चुपड़ा से लगी सिविल फॉरेस्ट पंचायत भूमि	मोटर मार्ग	1449	9	1.3037 है०
3.	ग्राम टिकर व चुपड़ा से लगी सिविल वे० भूमि	मोटर मार्ग	179	9	0.1613 है०
4.	ग्राम टिकर व चुपड़ा की नाप भूमि	मोटर मार्ग	372	9	0.3350 है०
कुल योग			3000	9	2.7000 है०

(2) अतएव हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं सिविल भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल(है० में)
1.	आरक्षित वन भूमि	0.9000है०
2.	ग्राम टिकर व चुपड़ा से लगी सिविल फॉरेस्ट पंचायत भूमि	1.3037है०
3.	ग्राम टिकर व चुपड़ा से लगी सिविल वे० भूमि	0.1613है०
कुल योग		2.3650है०

(3) इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु कुल अपेक्षित 2.3650है० वन भूमि तथा नाप भूमि का भी निरीक्षण किया गया एवं भूमि में स्थित समस्त बाधक 700 वृक्षों की गणना कर वृक्षों पर पेंट से क्रमांक अंकित किये गये हैं। जिनकी सूची तैयार कर पृथक से संलग्न की जा रही है।

(4) प्रस्तावित संरक्षण में वृक्ष सघन रूप से विद्यमान हैं। स्थल का घनत्व 3 से 4 के बीच है। प्रस्तावित स्थल की जी०पी०एस० रीडिंग निम्न प्रकार है।

Hight-5249Fitt	N - 29°34'33.4"	E 79°55'8.2"
----------------	-----------------	--------------

(5) अपेक्षित रिजर्व वन भूमि-0.9000है०, फॉरेस्ट पंचायत भूमि-1.3037है० व सिविल बेनाप भूमि-0.1613है० इस प्रकार कुल 2.3650है० वन भूमि के दुगने क्षेत्रफल 4.7300है० (अर्थात् 5.000है०) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के लिए 1.5.19.84 चयनित किया गया है, जिसकी प्रस्तावित स्थल से दूरी 3.0 कि०मी० है तथा चयनित क्षेत्र का घनत्व 1.0 से 2 है।

(6) क्षेत्र के ग्रामीणों को यातायात की सुविधा न हो पाने के कारण उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, किन्तु इस संबंध में आम सभा का प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा संबंधित से लिया जाना आवश्यक होगा। प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु उक्त अपेक्षित भूमि न्यूनतम है एवं प्रस्तावित सड़क निर्माण के संरक्षण हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(7) चूंकि प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य हेतु वन भूमि की मांग की जा रही है, फलस्वरूप इस भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होंगे तथा स्थल पर किसी भी गैर वानिकी कार्य (Non-forestry-activities) के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। अतः प्रस्तावक विभाग को निर्धारित फॉरमेट/प्रक्रिया के अनुरूप fca, 1980 के तहत प्रस्तावित निर्माण हेतु अपेक्षित 2.3650है० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करना होगा।

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा

(प्रभावत सिंह नयल)
डिप्टी रेंजर, चोलादेवी

(संजय पाण्डेय)
स. प्र. प्र. ख. ला. नि. वि.
अल्मोड़ा

(प्रदीप कुमार)
अवर सहायक
ला. नि. वि. अल्मोड़ा

(विशाल चंड)
अधीक्षक
प्र. ख. ला. नि. वि.
अल्मोड़ा

(हमराज सिंह)
अधीक्षक
प्र. ख. ला. नि. वि.
अल्मोड़ा

(सहायक अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, ला. नि. वि.
अल्मोड़ा)

(अधिशाली अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, ला. नि. वि.
अल्मोड़ा)

(अधीक्षक)
अल्मोड़ा

नहसीलदार
अधीक्षक

उप जिला अधिकारी
जंती (अल्मोड़ा)

(अधीक्षक)
अल्मोड़ा